संख्या–2777/79–5–2013–29/2009 टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला शिक्षा परियोजना समिति
समस्त जनपद, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 01 अगस्त, 2013

विषयः– **नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश सं0–1739/79–5–2011–29/2009 टी0सी0, दिनांक 28 जून 2011 के द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। उक्त समितियों का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त समितियो के स्थान पर नयी समितियों का गठन दिनांक 16 अगस्त से 05 सितम्बर 2013 तक की अवधि में कराया जाय, जिससे नयी समिति सितम्बर 2013 में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में हो।

2. अतः प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा 1–5, कक्षा 6–8 तक की कक्षाओं का संचालन करने वाले अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) एवं (ii) में संदर्भित विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1739/79–5–2011–29/2009टी0सी0, दिनांक 28 जून 2011 के क्रम में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पारदर्शी एवं निष्पक्ष गठन हेतु जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक आहूत कर जिलाधिकारी द्वारा निर्वाचन की तिथियां निर्धारित की जायेंगी। पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों की ड्यूटी इस प्रकार लगायी जायेगी कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों का चयन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से खुली बैठक में हो। यथा सम्भव आम सहमति से चयन कराया जाय। यदि आम सहमति से चयन सम्भव न हो तो हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर समिति के सदस्यों सहित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चयन करया जाय।

3. विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अतिरिक्त विशेष निर्देश निम्नवत् हैं:–

- **नयी एस0एम0सी0 का गठन दिनांक 05 सितम्बर 2013 तक पूर्ण कराया जाय।**
- **चुनी गयी नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष का नाम बैंक खातों में दर्ज कराये जाने, बैंक पासबुक अद्यतन कराये जाने एवं चेकबुक के साथ वर्ष 2011–12 व 2012–13 के समस्त दस्तावेज एवं लेखा पंजिका/अभिलेख सूची बनाकर नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति को हस्तगत कराये जाने का दायित्व समिति के सचिव अर्थात प्रधानाध्यापक का होगा जिसकी पुष्टि खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (counter sign) करने के उपरान्त छायाप्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।**

- एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पृथक–पृथक किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के लिए सभी अभिभावकों की खुली बैठक की जाय।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का पारदर्शी एवं निष्पक्ष गठन यथा सम्भव आम सहमति से कराया जाय। यदि आम सहमति से चयन सम्भव न हो तो हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर चयन कराया जाय।
- विवाद की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान से निराकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एस0एम0सी0 के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार–पत्रों के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में कराया जाये। इसके अतिरिक्त गांव/मजरे में मुनादी कराकर एवं परचे, बैनर, पोस्टर आदि समुदाय में वितरित पर्याप्त प्रचार–प्रसार भी कराया जाय।
- उक्त माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक अभिभावकों को खुली बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अभिप्रेरित किया जाय ।
- एस0एम0सी0 के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार– प्रसार, समुदाय को अभिप्रेरित करने एवं खुली बैठक सम्पन्न कराने में प्राप्त किया जाय।
- प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र–छात्रा की नोटबुक/कापी/पर्ची में खुली बैठक की तिथि अंकित कर बच्चों के माता–पिता/संरक्षकों को सूचित की जाय।
- जिलाधिकारियों द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खण्ड के लिए पृथक–पृथक अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी।
- जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित विकास खण्ड हेतु नामित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- विकास खण्ड के प्रभारी अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खण्ड स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लाक में उपलब्ध कार्मिको की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जायेगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
- विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अलग–अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है।
- प्रतिबन्ध यह है कि नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहें तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करायें। समिति की घोषणा के उपरान्त अपनी आख्या प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- खुली बैठक ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, नगर / जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित नगर/जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में करायी जाय तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति

/वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाय।

- विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों के माता–पिता/संरक्षकों उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का चयन किया जाय तथा कोरम (Quorum) को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा।
- उपस्थिति का हस्ताक्षरयुक्त /अंगूठा निशान रिकार्ड रखा जाय।
- विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों के माता–पिता/संरक्षकों ही समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। किन्तु बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में संरक्षक (Guardian) भी एस0एम0सी0 सदस्य हेतु पात्र होंगे।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन होगा।
- समुदाय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1–3 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6–7 में अध्ययनरत् बच्चों के माता–पिता/संरक्षकों को चयनित करने के लिए अभिप्रेरित किया जाय ताकि अध्यक्ष अपना दो वर्षीय कार्यकाल पूर्ण कर सके।
- समिति में 50 प्रतिशत महिलाएं अवश्य होगी तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में एक महिला अवश्य हो।
- शिक्षामित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त) को समिति का सदस्य न बनाया जाय।
- जनपदों द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही पूर्ण कर सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को 15 सितम्बर 2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।
- समिति गठित होने के एक सप्ताह के अन्दर समिति के सचिव द्वारा समिति के सदस्यों की सूची (माता–पिता/संरक्षकों के पाल्य बच्चे के नाम के साथ) विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित की जाय।

4. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये, जिससे विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके।

भवदीय,

1.8.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ0प्र0 लखऊ।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त प्राचार्य, डायट/ मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

1/8/13

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।